

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) रिबीपा



पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.**

उनवान

युनिस बनाम राजपूतान सुकार इतर

दावा बाबत नाम सुरक्षी

मुकदमा नम्बर :- 1111/2021

निर्णय दिनांक :- 23.11.2021

वादी की ओर से सुनिस की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23.11.2021 को **श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी (बीका)

विदा उषाकर कृषि रूफि रोधी ग्राम महरकाहरी जमाद-दी खानातं
53 वा दर्ज कर्ज पुत्र मशालासु के ध्यान पूर युनिस पुत्र
भरालासु दर्ज काने का डोरो सिदा उषाकर के लक्ष्मी उषाकर पुत्र
केतानुसार राजपूतान रिफॉर्ड में डालकर कामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 23.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चूरु

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



नाम 964
23.11.2021